तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 04/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
18—8—2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या—1 (एक) झालमसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह राजपूत, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स नागणेची किराणा एण्ड जनरल स्टोर, टोकरा रोड़, सिरोडी, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही के अधिवक्ता श्री धन्नाराम देवासी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 (दो) विपुलभाई पंछीवाला, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Siya Marketing, Rajpur Rishala Road, Deesa (Guj.) एवं प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) कल्पेश कुमार महेशभाई, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, मैसर्स श्री साईनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, मोदी समाज वाडी के पास, पंचाल वास, डीसा (गुजरात) तथा प्रतिवादी संख्या 4 (चार) Ashok Kumar k. Bhartiya, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Shree Veer Milk Products, 108, Honey Industry, At post- Masma, Ta. Olpad, Surat (Gujrat) को नोटिस की तामिल होने के बावजूद अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही द्वारा दिनांक 18—3—2024 को मैसर्स नागणेची किराणा एण्ड जनरल स्टोर, टोकरा रोड़, सिरोडी, तहसील— रेवदर, जिला— सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता झालमसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह राजपूत से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ Ghee (Subh brand) का नमूना संख्या S-2315 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांकःL.S./318/Act/2024/373 दिनांक 01—4—2024 में अमानक (sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। प्रकरण की सुनवाई के दौरान प्रतिवादी संख्या—1 (एक) झालमसिंह की ओर से अधिवक्ता श्री धन्नाराम देवासी उपस्थित हुये एवं प्रतिवादी झालमसिंह की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को नोटिस की पंजीकृत डाक से तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये एवं न ही प्रतिवादी संख्या 2 से 4 की ओर से जबाव प्रस्तुत हुआ। प्रकरण में बहस हेतु नियत तिथि 12—8—2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव उपस्थित नही हुये। बहस हेतु नियत तिथि 12—8—2025 को प्रतिवादी झालमसिंह व उसके अधिवक्ता उपस्थित हुये। प्रतिवादी संख्या 1 (एक) झालमसिंह के अधिवक्ता की बहस सुनी गई, जिन्होनें बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी झालमसिंह ने खाद्य पदार्थ घी (शुभ ब्राण्ड) के 500—500 एम.एल. के पैक्ड जारों को प्रतिवादी संख्या 2 (दो) की फर्म मैसर्स सिया मार्केटिंग, डीसा से जरिये बिल पैक्ड अवस्था में क्रय किया गया था व पैक्ड अवस्था में ही ....लगातार	

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज.)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 04/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	विक्रय किया है। प्रतिवादी झालमसिंह उक्त घी का निर्माता व पैकर नही है। उसको छोसा सा व्यापार है। प्रतिवादी झालमसिंह द्वारा कोई मिलावट नही की गई है। अतः प्रतिवादी झालमसिंह के विरुद्ध प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को खारिज किया जाकर प्रतिवादी झालमसिंह को दोषमुक्त किया जावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु दिनांक 18–03–2024 को समय 3–15 पी. एम. पर मैसर्स नागणेची किराणा एण्ड जनरल स्टोर, टोकरा रोड़, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही पर गये। मैसर्स नागणेची किराणा एण्ड जनरल स्टोर, टोकरा रोड़, सिरोडी में खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर की हैसियत से प्रतिवादी झालमसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह राजपूत, निवासी– कलबीवास, सिरोडी, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही उपस्थित मिले, जो मैसर्स नागणेची किराणा एण्ड जनरल स्टोर, टोकरा रोड़, सिरोडी में खाद्य पदार्थ Ghee (Subh brand) का आम जनता को विक्रय करता है। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स नागणेची किराणा एण्ड जनरल स्टोर, टोकरा रोड़, सिरोडी के निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Ghee (Subh brand) में मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता झालमसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह राजपूत को गवाह श्री श्रवण सिंह देवड़ा, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फर्म मैसर्स नागणेची किराणा एण्ड जनरल स्टोर की दुकान के अन्दर आमजन के बिक्री हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ Ghee (Subh brand) के 20 पैक्ड जार (प्रत्येक 500 एम.एल.) में से खाद्य पदार्थ Ghee (Subh brand) के 4 पैक्ड जारों (प्रत्येक 500 एम.एल.) को सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं खाद्य पदार्थ Ghee (Subh brand) की कीमत राशि रुपये 1100/– (अक्षरे रुपये एक हजार एक सौ मात्र) प्रतिवादी विक्रेता झालमसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह राजपूत को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2315, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ Ghee (Subh Brand) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी झालमसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह राजपूत व उक्त गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ Ghee (Subh Brand) के 500–500 एम.एल. के खरीदशुदा चारों नमूना पैकेटों पर पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना	

.........लगातार

न्यायालय प्रा० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

पीठा. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 04/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	भाग पर अभिहित अधिकारी के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लिप कोड एवं एवं क्रम संख्या S-2315 को उपर से लेकर नीचे तक गोंद से चिपकाई। प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता झालमसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह राजपूत व उक्त गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने अपने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता झालमसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह राजपूत व उक्त गवाह तथा श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में पॅहुचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूनें को सीव्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की दो–दो प्रतियां दो लिफाफो में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 20–3–2024 को नमूनें का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री चन्दनदास, कार्मिक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं दिनांक 18–03–2024 को ही शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मैसर्स नागणेची किराणा एण्ड जनरल स्टोर, टोकरा रोड़, सिरोडी में प्रतिवादी विक्रेता झालमसिंह पुत्र श्री भगवानसिंह राजपूत से खाद्य पदार्थ Ghee (Subh Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों (नमूना संख्या S-2315) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ Ghee (Subh Brand) के नमूना संख्या S-2315 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./318/Act/2024/373 दिनांक 01–4–2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ Ghee (subh Brand) का नमूना अमानक (sub-standard) पाया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 (एक) झालमसिंह की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स नागणेची किराणा एण्ड जनरल स्टोर, टोकरा रोड़, सिरोडी द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (subh Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों को फर्म M/s Siya Marketing, Rajpur Rishala Road, Deesa(Guj.) से जरिये बिल क्रय किया गया है, जो प्रतिवादी संख्या 2 (विपुलभाई पंछीवाला) की प्रोपराईटरी फर्म है एवं प्रतिवादी संख्या 2 (विपुलभाई पंछीवाला) की प्रोपराईटरी फर्म M/s Siya Marketing, Rajpur Rishala Road, Deesa (Guj.) द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (Subh Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों को फर्म श्री ....लगातार	

..........लगातार

पीठा. जिला न्यायाधीश
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 04/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
	साईनाथ ट्रेडिंग कम्पनी, मोदी समाज वाडी के पास, पंचाल वास, डीसा से जरिये बिल क्रय किया गया था जो प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) कल्पेशकुमार महेशभाई की प्रोपराईटरी फर्म है। प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) कल्पेशकुमार महेशभाई की प्रोपराईटरी फर्म मैसर्स श्री साईनाथ ट्रेडिंग कम्पनी द्वारा खाद्य पदार्थ Ghee (subh Brand) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों को फर्म M/s Shree Veer Milk Products, 108, Honey Industry, At post-Masma, Ta. Olpad से जरिये बिल क्रय किया गया था, जो खाद्य पदार्थ Ghee (subh Brand) की निर्माता एवं पैकर फर्म है एवं प्रतिवादी संख्या 4 (चार) Ashok Kumar k. Bhartiya की प्रोपराईटरी फर्म है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 27 में विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक व निर्माता के दायित्व दिये हुए है, जिसके अनुसार अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Subh Brand) के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु निर्माता व पैकर फर्म दोषी है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी Ashok Kumar k. Bhartiya, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Shree Veer Milk Products, 108, Honey Industry, At post- Masma, Ta. Olpad, Surat (Gujrat) द्वारा अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Subh Brand) (नमूना संख्या S-2315) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों का निर्माण, पैकिंग व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है। **आदेश** अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 80 के तहत प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को दोषमुक्त करते हुए उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत अमानक (sub-standard) खाद्य पदार्थ Ghee (Subh Brand) (नमूना संख्या S-2315) के 500–500 एम.एल. के पैक्ड जारों के निर्माण, पैकिंग व विक्रय हेतु प्रतिवादी Ashok Kumar k. Bhartiya, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Shree Veer Milk Products, 108, Honey Industry, At post- Masma, Ta. Olpad, Surat (Gujrat) पर राशि रुपये 40,000/– (अक्षरे रुपये चालीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी Ashok Kumar k. Bhartiya, खाद्य कारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, M/s Shree Veer Milk Products, 108, Honey Industry, At post- Masma, Ta. Olpad, Surat (Gujrat) को आदेशित किया जाता है कि उस पर अधिरोपित शास्ति की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी Ashok Kumar k. Bhartiya को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जमा होने जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 24–9–2025 को पेश हो। (डॉ. दिनेश राय सापेला)	

न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001